


<p>तारीख</p>	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनु                  केम्ब कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत कास्तिमपुरा                  प्रकरण नं. 152/2015                  उनवान                  सुरेन्द्र बनान रमजीत सिंह बगौरह                  प्रार्थना-पत्र अन्वयित द्वारा 212 राजस्थान राजस्थानी अधिनियम व अ. आदेश 10 नियम 1 व 2 तथा बाल 151 प्राची</p>	<p>राजस्थान लोक अदालत                  न्याय आदेश द्वारा                  अंकित-2018</p>
<p>26.06.2018</p>	<p>यह पत्रावली राजस्थ लोक अदालत ग्राम पंचायत कास्तिमपुरा में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना जाकर प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का पर बगौर ननन किया गया। जिससे आदेश दिनांक 02.11.2015 में आंशिक संशोधित करते हुए दोनों पक्षों को ता: फ़ैसला दावा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता: फ़ैसला दावा पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकनील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ़्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">                   उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनु                  झुन्डुनु (राजस्थान)             </p>	